

तारीख हुकम

27/06/19

कॉम्प्लेंट रीगिस्ट्रेशन में पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठारसी अधिकारी दोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-25/07/19 को पेश हो।

25/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठारसी अधिकारी दोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-29/08/19 को पेश हो।

29/08/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठारसी अधिकारी दोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-09/09/19 को पेश हो।

07/10/19

ईजलाही पेशी 79 पर पत्रावली साज पेश हुई। वकूलाय उप. अग्रणी सं. 2, 5 ता 13 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अग्रणी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं साज है। अतः अग्रणी सं. 2, 5 ता 13 के विरुद्ध एक फरीय कार्यवाही अमल में लटि जाती है। बास्ते जवान ता. अग्रणी सं. 4 हेतु मिसल दिनांक 10/10/19 को पेश हो।

10/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठारसी अधिकारी दोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-18/10/19 को पेश हो।

18/10/19

वकूलाय उप. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 25/10/19 को पेश हो।

25/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठारसी अधिकारी दोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-30/10/19 को पेश हो।

महामालय सहयोग कलक्टर (F.T.) खण्डेला

म.दा.वीर न/5 म/न/1  
 T.9. 24/2017  
 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तालीम  
 में जारी हुए

रीख  
 हुकम

30/10/19 वकुलाम उपण। कास्ते जवाब एी० आई०  
 अर्जा नं० 4 पत्रावली दिनांक 08/11/2019  
 को भेजा है।

08/11/19 वकुलाम उपण। प्रा० पत्र एी० आई० अर्जा  
 से संबंधित मूल वादपत्र में प्रतिवादी  
 नं० 4 का प्रा० पत्र कबत मंगूली एडपडमी  
 कार्मिनी खारिज किया जाय है पूछा है।  
 अतः मूल वादपत्र में प्रा० पत्र मंगूली खारिज  
 किये जाने से परिप्रेक्ष्य में अर्जा नं० 4 की  
 पत्रावली बन्द हो जाती है। पत्रावली नये  
 वदम एी० आई० दिनांक 06/12/2019 को  
 भेजा है।

06/12/19 पत्रावली भेजा हुई। कहील अर्जा उपण।  
 अंतिम अर्जन - पत्र एी० आई० से संबंधित  
 मूल वादपत्र का निरस्तन किया जा चुका  
 है। ऐसी स्थिति में प्रा० पत्र एी० आई० को  
 भेज आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं  
 है। अतः कार्मिनी प्रकरण इसी स्तर  
 पर Drop की जाती है। पत्रावली अंतिम  
 सुमार होकर नम्बर के भुम हो तथा बाद  
 तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय पूर्व  
 महामालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला